

हमने वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन अपील नामान्तकरण के विरुद्ध की गई है जो नामान्तकरण श्रीमान न्यायालय राजस्व प्राधिकारी जयपुर के निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा तस्दीक किया है, जिसके गलत अंकन को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण प्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर उन्हे गुणावगुण पर सुनकर मुताबिक मुताबिक निर्णय व डिक्री सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.7.16 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में पेश किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
कोटपूतली (जयपुर)